रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3—अक्तूबर 9, 2009 (आश्विन 11, 1931)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3—OCTOBER 9, 2009 (ASVINA 11, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षक विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 28 अगस्त 2009

सं. गैबैंपवि. 207/मुमप्र (एएनआर)/2009--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी (एच)-77 में अंतर्विष्ट विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 (जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है) को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित करने का निदेश देता है, अर्थात्--

A. निदेश के पैराग्राफ 5 के खंड (क) के प्रथम और द्वितीय परंतुक हटा दिए जाएंगे।

B. निदेश के पैराग्राफ 5 के खंड (ख) में--

1. उप खंड (i) निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"किसी शेयरधारक से प्राप्त कोई जमाराशि, यदि ऐसी जमाराशि पहले प्राप्त हुई है और स्वीकारने या नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में निवल स्वाधिकृत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक बकाया है"।

2. उप खंड (ii) निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अपरिवर्तनीय बांडों या डिबेंचरों सहित कोई अन्य जमाराशि"।

3. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :

"शर्त यह है कि जहां विविध गैर बैंकिंग कंपनी अपने शेयरधारकों से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त जमाराशि धारण किए है वहां ऐसी राशि परिपक्वता पर अदा की जाएगी और नवीकृत करने की पात्र नहीं होगी"।

4. उप खंड (iii) एवं (iv) हटाए जाएंगे।

C. पैराग्राफ 9ए के खंड (1) के उप खंड (क) में परंतुक ''शर्त यह है कि डिबेंचर या बांड के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशियों पर इस खंड में दिए गए कोई निदेश लागू नहीं होंगे'' को हटाया जाएगा।

D. पैराग्राफ 9ए से खंड (2) को हटाया जाएगा।

E. पैराग्राफ 9एबी में ''वर्तमान जमाकर्ता'' शब्दों के बाद और ''को'' शब्द के पहले निम्नलिखित शब्द शामिल किए जाएंगे :
''जो एक शेयरधारक है''

F. पैराग्राफ 9बी में खंड (ii) तथा (iii) के क्रमश: शीर्षक ''समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं होने पर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती'' तथा ''समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती'' में से जनता शब्द हटा दिए जाएंगे।

ए. नारायण राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

कारपोरेट केन्द्र

मुंबई, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्र. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/828--भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (23 का 1955) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियमावली 2005 कहा जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली के नियम 23 के उप-नियम (2) और नियम 23 के उप-नियम (6) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

नियम 23 (2)

परंतु यह कि दिनांक 01.11.2002 से लागू वेतनमानों में मूल वेतन प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन की अधिकतम राशि की गणना 01.05.2005 से इस संबंध में अगले संशोधन होने तक निम्नानुसार की जाएगी :

(क) यदि पिछले बारह मास की पेंशन योग्य सेवा के दौरान लिए गए मासिक मूल वेतन का औसत रु. 21,040/- + पीक्यूपी + एफपीपी प्रतिमाह तक है तो पिछले बारह मास की पेंशन योग्य सेवा का 50 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में समानुपातिक आधार पर); और

(ख) यदि पिछले बारह मास की पेंशन योग्य सेवा के दौरान लिए गए मासिक मूल वेतन का औसत रु. 21,040/- + पीक्यूपी + एफपीपी प्रतिमाह तक है तो पिछले बारह मास की पेंशन योग्य सेवा के दौरान लिए गए मासिक मूल वेतन के औसत का 40 प्रतिशत परंतु न्यूनतम रु. 10,520/- और पीक्यूपी का आधा + एफपीपी का आधा यदि कहीं लागू हो (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में समानुपातिक आधार पर)।

नियम 23 (6) (vi)

01.11.2002 से 30.04.2005 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त सदस्यों के संबंध में महंगाई राहत 1960 = 100 शृंखला के अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की यथास्थिति प्रत्येक वृद्धि के लिए देय और प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी जिसकी दर मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत होगी। यह महंगाई राहत दिनांक 01.05.2005 से देय होगी और इसके पहले के लिए देय नहीं होगी।

नियम 23 (6) (vii)

01.05.2005 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में महंगाई राहत 1960 = 100 शृंखला के अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की यथास्थिति प्रत्येक वृद्धि के लिए देय और प्रत्येक कमी के लिए वसूली योग्य होगी जिसकी दर मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत हागी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन निधि नियमावली के अंतर्गत देय अधिकतम पेंशन सीमा में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श किया गया है। तद्नुसार, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमावली में संशोधन किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी/पेंशन भोगी पर इस अधिसूचना के पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :

उपर्युक्त नियमों में किए गए संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा राजपत्र के लिए जारी किए गए हैं :

अधिसूचना क्र.	प्रकाशन की तारीख
1. सीडीओ/पीएम/एसपीएल/339	27.07.2000

हस्ता./- अपठनीय
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

Mumbai-400005, the 28th August 2009

No. DNBS. 207/CGM (ANR)-2009—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, (hereinafter referred to as the Directions) in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DNBC. 39/DG (H)-77 dated June 20, 1977 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely—

A. In clause (a) of paragraph 5 of the Directions, the first and second provisos shall stand deleted.

B. In clause (b) of paragraph 5 of the Directions,

1. Sub-clause (i) shall be substituted with the following words :

"any deposit from a shareholder, if the amount of such deposit already received and outstanding in the books of the company as on the date of acceptance or renewal of such deposits, exceeds fifteen per cent of its net owned funds."

2. Sub-clause (ii) shall be substituted with the following words:

"any other deposit, including non-convertible bonds or debentures".

3. The following Proviso shall be inserted :

"Provided that where a miscellaneous non-banking company is holding any deposit accepted from any person other than its shareholders, the same shall be repaid on maturity and shall not be eligible for renewal".

4. Sub-clauses (iii) and (iv) shall stand deleted.

C. In sub-clause (a) of clause (1) of paragraph 9A, the proviso "Provided that nothing contained in this clause shall apply to monies raised by the issue of debentures and bonds", shall stand deleted.

D. In paragraph 9A, clause (2) shall stand deleted.

E. In Paragraph 9AB, after the words "an existing depositor" and before the words "to renew his deposit" the following words shall be inserted :

"being a shareholder".

F. In Patagraph 9B, in the title of clauses (ii) and (iii) viz; 'Repayment of public deposits by miscellaneous non-banking company not being a problem miscellaneous non-banking company' and 'Repayment of public deposits by problem miscellaneous non-banking company' respectively, the word 'public' shall stand deleted.

A. NARAYANA RAO
Chief General Manager-in-Charge

STATE BANK OF INDIA
CORPORATE CENTRE

Mumbai, the 9th September 2009

No. CDO/PM/16/SPL/828—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following rules to amend further the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

These rules may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Rules, 2005.

To sub-rule (2) of Rule 23 and sub-rule (6) of Rule 23 of the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules the following shall be added.

Following provision shall be added :

Rule 23 (2)

Provided further that with effect from 1.5.2005 the maximum amount of pension for the members who retired/retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from 1.11.2002 shall be computed till further amendments in this regard, as under;

(a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is upto Rs. 21,040/- + PQP + FPP p.m., 50% of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and

(b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above Rs. 21,040/- + PQP + FPP p.m., 40% of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of Rs. 10,520/- + half of PQP + half of FPP wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees).

Rule 23 (6) (vi)

In respect of retirees of the period 01.11.2002 to 30.04.2005, dearnees relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100, at the rate of 0.18 per cent of basic pension. This deamess relief shall be payable w.e.f. 1.5.2005 and not prior to that.

Rule 23 (6) (vii)

In respect of employees who retired on or after 01.05.2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 =100, at the rate of 0.18 per cent of basic pension.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval for revision in ceiling on maximum pension payable under the Pension Fund Rules. The matter has been consulted with Reserve Bank of India. Accordingly, the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules are amended.

2. It is certified that no employee/pensioner of the State Bank of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Foot Note :

The amendments carried out earlier in the above Rules were gazetted vide notification no. as given below :

Notification No.	Date of publication
1. CDO/PM/SPL/339	27.07.2000

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager (HR)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009